Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 50–2018] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2018
(20 अग्रहायण, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 87/ह०अ०25/2008/धा०59 तथा 68/2018, दिनांक 7 दिसम्बर, 2018 – हरियाणा पुलिस (शिकायत प्राधिकरणों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति) नियम, 2018.	765—766
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग–III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 दिसम्बर, 2018

संख्या का०आ० 87/ह०अ०25/2008/धा० 59 तथा 68/2018.— हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25) की धारा 59 तथा 68 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा पुलिस (शिकायत प्राधिकरणों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25);

(ख) "समिति" से अभिप्राय है, इन नियमों के नियम 3 के अधीन गठित समिति।

3. समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,– समिति का गठन।

(क)	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार:	अध्यक्ष
(ख)	महाधिवक्ता, हरियाणा:	सदस्य
(ग)	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग:	सदस्य
(घ)	सचिव/विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, गृह–विभाग:	सदस्य सचिव ।

4. समिति, कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा लोक जीवन, शैक्षणिक, विधि, प्रशासन तथा सुशासन, आपराधिक प्रशासन तथा सामाजिक कार्य के क्षेत्र में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के लिए कम से कम बीस वर्ष तथा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के लिए कम से कम दस वर्ष का विस्तृत ज्ञान तथा अनुभव रखने वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों से राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण अथवा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्यों की नियुक्त के लिए आवेदन आमंत्रित करेगी। आवेदन आमंत्रित करना।

5. आवेदनों की प्राप्ति पर, समिति, चयन के लिए उम्मीदवारों द्वारा अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने के सम्बन्ध में ऐसे आवेदनों की संवीक्षा करेगी। समिति, यदि उचित समझे, उम्मीदवारों से अपेक्षित क्षेत्र में उनके ज्ञान तथा अनुभव के सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी मांग सकती है। आवेदकों की संवीक्षा।

6. आवेदनों की संवीक्षा के बाद, समिति अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में अनुशंसित उम्मीदवारों के नाम की अलग–अलग सूची तैयार करेगी। अनुशंसा के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करना।

7. समिति, मुख्यमंत्री को इस अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण।

8. समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी करते हुये राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों, जैसी भी स्थिति हो, के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। नियुक्ति आदेश जारी करना।

डॉ० एस०एस० प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 7th December, 2018

No. S.O. 87/H.A.25/2008/Ss.59 and 68/2018.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 92 read with sections 59 and 68 of the Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:-

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Police (Appointment of Chairperson and Members of Complaint Authorities) Rules, 2018

(2) They shall come in force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions

2. In these rules, unless the context otherwise requires.-

(a) "Act" means the Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008);

(b) "Committee" means a committee constituted under rule 3 of these rules.

Constitution of Committee

3. The Committee shall consist of.-

(a)	Chief Secretary to Government, Haryana:	Chairperson
(b)	Advocate General, Haryana;	Member
(c)	Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Home Department:	Member
(d)	Secretary/Special Secretary to Government, Haryana, Home Department:	Member Secretary

Invitation of applications.

4. The Committee shall invite applications for appointment of Chairperson and Members of the State Police Complaint Authority or District Police Complaint Authority from the person of eminence having wide knowledge and experience of at least twenty years for State Police Complaint Authority and at least ten years for District Police Complaint Authority in the field of public life, academic, law, administration and governance, criminal administration and social work through publication in at least two leading newspapers

Scrutiny of applications.

5. On receipt of applications, the Committee shall scrutinize such applications regarding fulfillment of the requisite criteria by the candidates for the selection. The Committee may, if deem fit, seek additional information from the candidates with regard to their knowledge and experience in the requisite field.

Preparation of list of candidates for recommendation.

6. After scrutiny of the application, the Committee shall prepare the list of the names of candidates to be recommended as Chairman and Members separately.

Submissions of proposal.

7. The Committee shall submit its proposal to the Chief Minister as required under the Act.

Issuance of appointment orders.

8. The proposal submitted by the Committee shall be considered and appointments to the posts of Chairperson and Members of the State Police Complaint Authority or District Police Complaint Authority, as the case may be shall be made by issuing order by the State Government in this behalf.

DR. S. S. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

8455—C.S.—H.G.P., Pkl.